

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 15/2025 (गुण्डा एक्ट)  
जी.सी.एम.एस नं.- 2025/59

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा  
ग्रामीण (राज0)

बनाम

अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रामद्वारा नयाकुआ चेचट  
जिला कोटा



कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)  
राजस्थान गुण्डा  
नियंत्रण अधिनियम, 1975


निर्णय दिनांक : 7/11/25

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रामद्वारा नयाकुआ चेचट जिला कोटा जिला कोटा क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	211/24	13 आरपीजीओ	182/28-9-2024	100 रु.जुर्माना
2.	232/24	13 आरपीजीओ	205/22-10-2024	100 रु.जुर्माना

अतः अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रामद्वारा नयाकुआ चेचट जिला कोटा जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस

  
अति. जिला कलक्टर  
कोटा

दिया गया। गैरसायल की ओर से वकील अंसार अहमद एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने स्वयं उपस्थित जर्ज वकील जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार व असत्य है बिना किसी सबूत के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण अस्वीकार है। प्रार्थी के उक्त सभी अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और ना ही समाज के लोगो पर उक्त अपराधो का कही प्रभाव पडता है। अतः उक्त कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करे।


पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी चेचट द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 प्रकरण दर्ज हुए हैं सभी प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुये गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुये गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रामद्वारा नयाकुआ चेचट जिला कोटा जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 03 दिन के लिए थाना चेचट जिला कोटा की सीमा से जिला चित्तोडगढ के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तोडगढ को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तोडगढ गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 03 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात दिनांक 2.12.2025 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना चेचट जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी रामद्वारा नयाकुआ चेचट जिला कोटा जिला कोटा को दिनांक 2.12.2025 को पुलिस अभिरक्षा में थाना चेचट जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना रावतभाटा की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थानाधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तोडगढ उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 7/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



  
(वीरेन्द्र सिंह यादव)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा जिला कोटा